International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 396-398

उपेक्षित बालकः संवैधानिक एवं व्यवहारिक पक्ष (बीकानेर जिले के सन्दर्भ में)

शारदा देवी

शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत।

प्रस्तावना

जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष बचपन होता है। बालक के भावी जीवन का निर्माण करने के लिए उसके बचपन पर विशेष ध्यान देना अत्यन्त जरूरी है। बालक के विकास की प्रक्रिया में बचपन का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ के अनुसार ''बचपन वह समय है जब बालक विद्यालय जाए, खेले, अपने परिवार, समाज और उससे स्नेह रखने वाले वयस्कों के बीच मजबूती से, विश्वास से और प्रोत्साहन के साथ बडा हो। यह बहुमूल्य समय है जिसमें बालक निडर होकर, हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षित रहे। बचपन का तात्पर्य उसके बाल्यकाल के जीवन की स्थिति और उन वर्षो की गुणवत्ता से होता है।''

बच्चे देश का भविष्य, भावी समाज के निर्माता व परिवार की आशा–किरण होते हैं। इनके समुचित विकास के लिए हर स्तर पर हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए। फिर भी ऐसे बच्चों की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है, जो खेलने पढ़ने की उम्र में ही अपराध की ओर अग्रसर हो जाते है। अपराध जगत में बच्चों के शामिल होने के अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक कारण होते हैं।

भारत में बच्चों की एक बड़ी संख्या अभिभावकों की लापरवाही, सामाजिक मूल्यों की क्षीणता, नशाखोरी एवं घर में असन्तोषजनक व्यवहार और संकट के समय सुरक्षा के साधनों की कमी इत्यादि के शिकार है, जिसके फलस्वरूप बच्चे निराश हो जाते हैं। बेघर और अनाथ बच्चे इन्हीं कारणों की उपज है।

बच्चे राष्ट्र की विरासत होते है। राष्ट्र का भावी विकास उनके समुचित विकास पर निर्भर करता है। हमारे देश में अधिकांश बच्चों की स्थिति सामान्य विकास की दृष्टि से अच्छी नहीं है। वे अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं यथा शारीरिक, मानसिक, सवेंगात्मक, सामाजिक नैतिक शैक्षिक इत्यादि। बच्चों की यह स्थिति परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए गम्भीर चिंता का विषय है। बच्चों के समुचित विकास के लिए विभिन्न स्तरों जैसे स्थानीय, प्रान्तीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

बच्चों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इनके कृत्य गलत तो हो सकते हैं लेकिन दण्डनीय नहीं हो सकते। अतः इन समस्त दृष्टिकोणों के मध्य ''किशोर न्याय'' की संकल्पना की गयी और समय–समय पर बालकों के सम्बन्ध में अनेक परम्परगत तथा सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर विशिष्ट किशोर न्याय व्यवस्था अस्तित्व में आई। सन् 1960 में बाल अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद किशोर न्याय सम्बन्धी न्यूनतम मानक नियमों को अपनाते हुए भारत में किशोर अपराधियों के लिए एक व्यापक कानून पारित किया गया जो किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के नाम से लागू हुआ। इस कानून में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के उपचार, विकास और पुनर्वास की उचित व्यवस्था करना तथा अपचारी किशोरों को समुचित न्याय दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना था।

इस कानून के लगभग 13 वर्षो तक क्रियान्वयन में रहने के पश्चात् यह पाया गया कि इस कानून को और अधिक व्यापक व प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती जा रही है। उपेक्षित एवं किशोर अपराधियों की संख्या व उनकी समुचित देखभाल व सुरक्षा की अव्यवस्था के कारण उक्त अधिनियम के स्थान पर किशोर न्याय (बाल देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2000 बनाया गया। भारत के संविधान के उपबन्धों में इस कानून में विभिन्न उपबन्धों का समावेश है।

भारत के संविधान के विभिन्न उपबन्धों को लागू करने के लिए समय–समय पर बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्यों द्वारा अनेक कानून बनाये गये और उनमें बच्चों के सर्वोत्तम हित के बारे में प्रावधान किये गये।

राज्यों को प्राथमिक दायित्व सौंपे गये हैं कि बच्चों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये और उनके आधारभूत मानवीय अधिकार पूर्णरूप से संरक्षित करें। बच्चों की सुरक्षा, देखभाल एवं पुनर्वास के लिये किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 बनाया गया है। राजस्थान में अधिनियम का क्रियान्वयन वर्ष 2002 से किया जा रहा है।

अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन में कमियों को दूर करने एवं विधि को और अधिक बाल मैत्री बनाने के लिए वर्ष 2006 और वर्ष 2011 में अधिनियम को दो बार संशोधित किया गया। अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान अनेक तथ्य सामने आये जिनमें विद्यमान विधि के पुनः अवलोकन की आवश्यकता को दर्शित किया गया। विद्यमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरसित करके एक व्यापक विधान को पुनः अधिनियमित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 किया गया जो 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ है। यह विधान बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए एक बाल मैत्री प्रक्रिया को अपनाते हुए कठिन परिस्थितियों में फंसे बालकों के लिए उचित देखरेख, संरक्षण, विकास, व्यवहार और सामाजिक पुनः समेकन को सुनिश्चित करेगा। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग क्रियान्वयक विभाग है।

राजस्थान राज्य में बाल अधिकारों एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, अधिनियमों का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों द्वारा पृथ्क–पृथ्क रूप से किया जा रहा था, इनको एकीकृत नियंत्रण में लाकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य में निदेशालय, बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई। राजस्थान सरकार ने राज्य में बजट घोषणा संख्या 111 वर्ष 2013–14 अन्तर्गत बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास

हेतु निदेशालय बाल अधिकारिता का गठन 17 मई 2013 को किया गया। निदेशालय की स्थिति स्वतंत्र विभाग के रूप में है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जो बाल कल्याण समिति और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे किशोर न्याय बोर्ड के संरक्षण में रहते है। 2016 के आदर्श नियम में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों का वर्गीकरण इस प्रकार है– अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, भिक्षावृति, शोषित, लावारिस, निराश्रित और भीख माँगते पाये गये, घर के असन्तोषजनक वातावरण से पीड़ित जिन्हें मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती या मूलभूत सुविधाओं से वंचित तथा वे बच्चे जो आवारा, अपराधी व उच्छश्रृंखला है और जो मानसिक रूप से बीमार है तथा जिनके माता पिता या संरक्षक है किन्तु वे उनकी देखरेख करने में, यदि समिति द्वारा ऐसा पाया जाये कि असमर्थ है, जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है, जो किसी से शस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है इत्यादि।

राज्य की कुल आबादी का लगभग 48 प्रतिशत भाग बच्चे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, संरक्षण एवं कल्याण का दायित्व राज्य सरकार का है। वर्तमान में राज्य के लिए बाल विवाह, बाल श्रम, बच्चों की खरीद–फरोख्त, कन्या भ्रूण हत्या, बाल भिक्षावृति इत्यादि संवेदनशील मामलों में बच्चों का संरक्षण करना राज्य के लिए बड़ी चुनौती है।

राजस्थान में कुल मिलाकर लगभग 230 संस्थान है जिनमें संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, विशेष गृह, शिशु गृह, विमंदित बालक–बालिकाओं के लिए गृह और आश्रय गृह सम्मिलित है। इनमें से 42 का संचालन राज्य सरकार के अधीन है। शेष 188 संस्थाओं का संस्थापन और संचालन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाता है। विधि के साथ संघर्षरत बालकों के लिए सभी जिलों में संप्रेक्षण गृहों की स्थापना और प्रबंधन का कार्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर एवं भरतपुर संभाग मुख्यालयों पर बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग संप्रेक्षण गृह बने हुए हैं तथा सभी संप्रेक्षण गृह उसी भवन में संचालित बाल गृहों के साथ जोड़े गये हैं तथापि विधि के साथ संघर्षरत व देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए अलग–अलग व्यवस्था की गई है। ऐसे बालकों की देखरेख, भौतिक सुविधाएं, साफ–सफाई और स्वच्छता, पोषण एवं भोजन, चिकित्सकीय देखरेख, मनोरंजन इत्यादि की व्यवस्था अधीक्षक व स्टाफ द्वारा निर्धारित मानक जो कि राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमों में है, उसके अनुसार करते हैं। बीकानेर जिले में विधि के साथ संघर्षरत एवं देखरेख संरक्षण की जरूरत वाले बालकों के लिये संस्थाएं अलग–अलग परिसरों में संचालित है। राजस्थान में संस्थागत देखरेख व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं भी कार्य कर रही है।

बच्चों के पुनर्वास व समाज में पुनः मिलाने का काम निम्न प्रकार से किया जाता है :–

- बालगृह या विषेष गृह में बच्चों का प्रवेश दिलवाना, संज्ञान लेना।
- कारा (केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) के नियमानुसार गोद देने की प्रक्रिया।
- अस्थाई रूप से बच्चें को पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) में भेजकर।
- बालकों की अन्य जरूरतें जैसे चिकित्सा, पोषाहार, षिक्षा और जीवन स्तर में सुधार की दृष्टि से पूरा करने के लिए अनुपूरक सहयोग देकर।
- पश्चात्वर्ती संगठन की देखरेख में भेजकर।
- माता–पिता व संरक्षकों को सौंप कर।

पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान समाचार पत्र, मीडिया, ऑन–लाईन, चाईल्ड हैल्प लाईन (1098) बाल कल्याण समिति, विशेष पुलिस किशोर इकाई इत्यादि द्वारा प्रयास करके इन बालकों के पुनर्वास हेतु माता–पिता व घर का पता लगाकर, पहचान कर तथा उनकी मानसिकता बदलकर परिजनों को सौंपा जाता है। बालक–बालिकाओं के घर का पता ज्ञात न होने पर संस्था में आवासित बच्चों के साथ शिक्षा से भी जोड़ा जाता है।

बीकानेर जिले में वर्ष 2014–15 में आवासित बालक–बालिकाओं की बाल गृह में अध्ययन के आधार पर कुल संख्या 24 रही। इस संस्था में प्रवेश के पश्चात् स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 21 तथा ऐसे बच्चों की संख्या जो स्कूल नहीं जाते 3 है, साथ ही अध्ययन में पाया गया कि बाल गृह में प्रवेश से पूर्व 9 बच्चे घर पर कार्य करते थे, 2 बच्चे पढ़ने जाते थे, 1 बच्चा दुकान पर कार्य करता था और शेष 12 बच्चे कुछ नहीं करते थे; निवास के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले 12 बच्चे, शहरी क्षेत्र से 9 बच्चे तथा 3 बच्चों ने कहाँ से आये है उसकी जानकारी बता पाने में असमर्थता व्यक्त की। अध्ययन में पाया गया कि संस्था में प्रवेशित होने के माध्यम के आधार पर बाल कल्याण समिति व अधीक्षक के समक्ष परिवार द्वारा लाने वाले बच्चों की संख्या 4, पुलिस द्वारा लाये गये बच्चे 15 एवं चाईल्ड लाईन द्वारा 2 बच्चे तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा लाये गये बच्चों की संख्या 3 पायी गयी। अस्पताल व पालनागृह में छोड़े गये एवं झाड़ियों में पाये गये शिशु भी बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किये जाते हैं। संस्था में इस प्रकार के बच्चों को प्रवेश दिया गया जो अनाथ है या माता–पिता से कलह एवं निम्न आर्थिक स्तर के पाये गये। जिसमें अनाथ बच्चों की संख्या 14, माता–पिता या परिवार वालों से झगड़ा होने से भाग कर आये बच्चों की संख्या 6 तथा निम्न आर्थिक स्तर वाले बच्चों की संख्या 4 पायी गयी।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश भगवैया बालिकायें बीकानेर से बाहर की हैं जिसमें से कुछ का पुनर्वास किया गया तथा कुछ ने 18 वर्ष पूरे करने के पश्चात् ही बालिका गृह छोड़ा। शिशुगृह की बालिकाऐं नियमित रूप से विद्यालयों में अध्ययनरत है। इसी प्रकार किशोर गृह के बालकों को भी नियमित रूप से अध्ययन करवाया जा रहा है, परन्तु कुछ छोटी–मोटी समस्याओं को दुरस्त करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है ताकि उनकी मानसिकता का उचित विकास हो सके। सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रशिक्षित कार्मिकों, भाषा विशेषज्ञों, वाहन सुविधाओं को बढाने की आवश्यकता है। सुरक्षा की दृष्टि से भगवैया बालिकाओं की नियमित शिक्षा संभव नहीं हो पा रही है परन्तु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहते हैं।

किशोर न्याय अधिनियम में बालकों की देखभाल व संरक्षण में समाहित क्रियाकलापों से बीकानेर जिले में आशानुरूप प्रगति हो रही है। अधिनियम के अन्तर्गत योजनानुसार गतिशीलता आ रही है। उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बाल कल्याण समिति, गृह प्रभारीगण, चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद के साथ–साथ ममतामय वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चों के विकास के लिए आपसी भाईचारे, मित्रता, शान्ति तथा समरसतापूर्ण वातावरण भी विद्यमान है।

कभी–कभी ना समझी के कारण बच्चे उग्र दिखाई देते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिशुगृह में आवासित शिशुओं की व्यवस्थित देखरेख के साथ उन्हें गोद देने की प्रक्रिया अब कारा के नये नियमार्न्तगत सुचारू रूप से हो रही है।

यद्यपि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम में समय–समय पर संशोधन किये गये है, साथ ही राजस्थान में बाल अधिकारिता विभाग भी बच्चों के कल्याण एवं पुर्नवास हेतु कार्यरत है। फिर भी बच्चों के अधिकार पूर्णरूप से सुरक्षित नहीं माने जा सकते। ऐसी स्थिति में समाज सेवी संस्थाओं तथा सरकार के बाल अधिकारिता विभाग द्वारा सामुहिक प्रयासों की आवष्यकता है जिससे समाज में देखरेख एवं संरक्षण की आवष्यकता वाले बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके एवं इनकी दयनीय व चिन्ताजनक स्थिति का समाधान हो सके।

इन गृहों में बच्चों में आत्महीनता की स्थिति में उत्साह जागृत किया जाता है, विशेषतः उन बच्चों के लिए जिनको अकेले रहना नहीं सुहाता। उनके लिए सामूहिक खेलों आदि का आयोजन किया जाता है। पुस्तकालय की व्यवस्था भी की गई है ताकि किशोर, किशोरियों को साहित्य सृजन का लाभ प्राप्त हो सके।

घर से भागने वाले बच्चों की प्रवृति से समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों का जन्म होता है। इस सामाजिक दोष के कारण उसके व्यक्तित्व का विघटन होता है। व्यक्तित्व का यह विघटन उन्हें बाल अपराधों की ओर प्रेरित करता है। भगोड़ेपन की प्रवृति बाल अपराध की पहली सीढ़ी है। यह किसी भी समाज की सामाजिक संरचना में उत्पन्न असन्तुलन की समस्या है।

यह समस्या परिस्थितिजन्य शास्त्रीय वातावरण से स्फुटित रूप से संबंधित है जिसे समाज निन्दा की दृष्टि से देखता है। जिससे प्रतिशोध की भावना विकसित होने की संभावना रहती है।

ग्रामीण आँचल से प्रायः प्रवेशित अधिकांश बालक–बालिकाऐं सीमित साधनों के कारण अपनी प्रतिभा को विकसित नहीं कर पाते। बच्चों के शारीरिक–बौद्धिक विकास के अवरोध के मुख्य कारण गांवों की गरीबी, स्वच्छता का अभाव, कुपोषण, बेरोजगारी तथा व्यवहारिक शिक्षा का अभाव होता है। बाल श्रम जैसी प्रथा समाज के चेहरे पर एक दाग है जो कानून बनाये जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिट पायी है।

वस्तुतः बालक व बालिकाओं का विकास नकारात्मक होने के कारण बच्चे के व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार को विकृत कर देता है। ऐसे में उनके संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन तथा उचित मार्गदर्षन की आवश्यकता होती है ताकि उनका जीवन सुखी और समृद्वशाली बन सके व किशोरावस्था में जीवन के प्रति उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहे। अतः सही मार्ग प्रशस्त करने व उचित–अनुचित का ज्ञान कराते हुए नैतिक विकास की नितान्त आवश्यकता है, साथ ही किषोरावस्था के समग्र एवं सन्तुलित विकास हेतु मानवीय रूप से नवीन दृष्टिकोण एवं मनोवैज्ञानिकों की महत्ती आवश्यकता भी अपेक्षित है।

अतः इन बालकों को स्वस्थ संस्कारों के साथ शिक्षा देने हेतु मनोवैज्ञानिक आधार तैयार करने की आवश्यकता है। इन्हें सर्वोत्तम उत्थान के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ रोटरी क्लब, लाइनेस क्लब, गैर–सरकारी संस्थाओं, सेवा संस्थाओं इत्यादि का सहयोग लिया जाना भी आवश्यक है।

अन्त में कहा जा सकता है कि बच्चे मनुष्य जाति का भविष्य है। यदि बच्चों को निडर, स्वावलम्बी, मजबूत, अति योग्य बनायेगें तो मानव सभ्यता सही दिशा में विकसित होती जायेगी अर्थात जैसा हम बच्चों को बनायेंगे वैसी ही मनुष्य जाति व मानव सभ्यता का भावी विकास होगा।

संदर्भ

1. बनर्जी अनन्दिताः बाल विकास, ग्रामीण पुस्तक सदन, उत्तर प्रदेश
2. चतुर्वेदी रघुवीर, (सम्पादक) (1993) नई शिक्षा आम पथ, बनीपार्क, जयपुर
3. सिंह जगत, (1994) समस्याग्रस्त बालक, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
4. शर्मा चौबे, (1980) बाल समस्या विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
5. भटट बुद्धि प्रकाश, (1973) आयु–वर्ग एवं शिक्षा मनोविज्ञान प्रगति प्रकाशन, मास्को (1982)
6. किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015
7. कमल एम पी, (2008) बाल शोषण, क्रूर कारनामें, स्नेह साहित्य सदन, दिल्ली
8. चैतन्य द्वारिका प्रसाद, (सम्पादक) (2005) युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा
9. भार्गव उषा, (1993) किशोर मनोविज्ञान राज0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
10. नौटियाल राजाराम, – संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था एक अनुपम प्रक्रिया पी 55